कार्य अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

बनाम

मुकदमा नम्बर :– /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली वास्ते कुरैजात प्रस्तुत दिनांक 12/6/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)
	12/6/24	कार्यवाही उप तहसीलदार चौमू से कुरैजात रिपोर्ट अप्राप्त है। पुनः लिखा जाकर पत्रावली वास्ते बहसनार कुरैजात हेतु दिनांक 28/6/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)
	28/6/24	कार्यवाही उप/ तहसीलदार चौमू से कुरैजात बहसनार हेतु दिनांक 3/7/24 को पेश हो। [signature]
	3/7/24	कार्यवाही उप तहसीलदार चौमू से कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरैजात के मुताबिक वादी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद [illegible] किया जाता है विभाजन [illegible] से लिखा [illegible] किया गया जाकर शामिल पत्रावली किया गया [illegible] डिक्री पर्चा जारी हो [illegible] [illegible] हो [illegible] तथा शामिल [illegible] [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ग्रामीण)

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0 :– 46/2024

उनवान

1. गिरधारी लाल पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादी–

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र रुघनाथ उर्फ रघुनाथ प्रसाद
2. नन्दा राम पुत्र गोपाल लाल
3. पुरण पुत्र गोपाल लाल
4. योगेश कुमार पुत्र गोपाल लाल
5. इन्द्रा देवी पुत्री गोपाल लाल
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूॅ जिला जयपुर ग्रामीण।
6. कमल सिंह पुत्र भंवर सिंह
7. मनोहर पुत्र मूल
8. सोहन सिंह पुत्र मूल
   समस्त जाति राजपुत निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूॅ जिला जयपुर ग्रामीण।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अ0 धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक:–08.07.2024

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 26.06.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या नया 367 पुराना 332 के खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1016/1323 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987/1313 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.6000 हैक्टेयर वाके ग्राम ग्राम लोहरवाडा पटवार हल्का लोहरवाडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया तहसील चौमू जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. गिरधारीलाल पुत्र मालीराम हिस्सा [illegible] जाति [illegible] चिमनपुरा चौमूं खातेदार को खसरा नम्बर 1016/1323 रकबा 0.04 हैक्टे[illegible] खस[illegible]म्बर 1015/1 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987/1313/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.1650 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. इन्द्रा देवी पुत्री गोपाललाल हिस्सा 15/435, नन्दा[illegible] पुत्र गोपाललाल हिस्सा 15/435, पुरणमल पुत्र गोपाललाल हिस्सा 15/435, यो[illegible] कुमार पुत्र गोपाललाल हिस्सा 15/435, गोपालालाल पुत्र रघुनाथप्रसाद हिस्सा 2956/4350 जाति बलाई कमल सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र झब्बर सिंह हिस्सा 420/4350 मनोहरसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा 187/4350 सोहनसिंह पुत्र मूल हिस्सा 187/4350 जाति राजपूत सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 1015/2 रकबा 0.3550 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987/1313/2 रकबा 0.08 हैक्टैयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.4350 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा० दे०/मुख्यालय) चौमूँ

सहायक कलक्टर (फा० दे०)
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर(R.A.S.)

उनवान

1. गिरधारी लाल पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादी–

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र रुघनाथ उर्फ रघुनाथ प्रसाद
2. नन्दा राम पुत्र गोपाल लाल
3. पुरण पुत्र गोपाल लाल
4. योगेश कुमार पुत्र गोपाल लाल
5. इन्द्रा देवी पुत्री गोपाल लाल
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूँ जिला जयपुर ग्रामीण।
6. कमल सिंह पुत्र भंवर सिंह
7. मनोहर पुत्र मूल
8. सोहन सिंह पुत्र मूल
   समस्त जाति राजपुत निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूँ जिला जयपुर ग्रामीण।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अ0 धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :–46/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रुबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

1. गिरधारीलाल पुत्र मालीराम हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0 चिमनपुरा चौमूं खातेदार को खसरा नम्बर 1016/1323 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987/1313/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.1650 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. इन्द्रा देवी पुत्री गोपाललाल हिस्सा 15/435, नन्दाराम पुत्र गोपाललाल हिस्सा 15/435, पुरणमल पुत्र गोपाललाल हिस्सा 15/435, योगेश कुमार पुत्र गोपाललाल हिस्सा 15/435, गोपालालाल पुत्र रघुनाथप्रसाद हिस्सा 2956/4350 जाति बलाई कमल सिंह पुत्र झब्बर सिंह हिस्सा 420/4350 मनोहरसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा 187/4350 सोहनसिंह पुत्र मूल हिस्सा 187/4350 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1015/2 रकबा 0.3550 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 987/1313/2 रकबा 0.08 हैक्टैयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.4350 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

निजी ....मबलिक .... बाबत .... [illegible] वगैरह ....

.... फीसदी सालाना आज [illegible] .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.07.20[illegible] को जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा (stamp: [illegible] (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर))

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक [illegible] (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner